मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 9, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री प्यारेलाल चौधरी तथा श्री बंकिम जोशी के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.40 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.46 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले की नगर पंचायत खुजनेर में पेयजल संकट होने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने शिवपुरी के अनेक ग्रामों की विद्युत व्यवस्था ठप्प होने,

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अनेक ग्रामों से चूना पत्थर का अवैध उत्खनन होने,

(4) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य ने भोपाल भूमि विकास बैंक द्वारा फर्जी रूप से ऋण की राशि आहरित की जाने,

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने उमरिया जिले में वास्तविक एवं पुस्तैनी काबिज दरों को भूमि के पट्टे दिलाये जाने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम पांडोला में संचालित प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन होने,

(7) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव जनपद के पाटई ग्राम से पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थानांतरित की जाने, तथा

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र सहित श्योपुर जिले के कई गांवों के हैण्डपंप खराब होने से गंभीर पेयजल संकट होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-06-बाईस-वि-4, दिनांक 30 जनवरी, 2006, पटल पर रखी।

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने बालाघाट जिले में अविवाहित युवकों की नसबंदी आपरेशन किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा बालाघाट जिले में अविवाहित युवकों की नसबंदी आपरेशन किये जाने संबंधी ध्याकर्षणना के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों से ऋण की जबरन वसूली करने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

6. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(5) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(6) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (चर्चा अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

7. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा मामला उठाया गया कि मध्यप्रदेश का जो बजट वित्त मंत्री, श्री राघव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने की ईमानदार कोशिश की लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो सके। हमने कुछ बिन्दुओं के बारे में सूचना दी थी कि हमारे भाषण में आरोप प्रत्यारोप होंगे, उनके बारे में हमें अभी अध्यक्ष महोदय आपके सचिवालय द्वारा सूचित किया गया है कि उनको आप नहीं लगा सकते मैं चाहूंगा कि आप उसमें अनुमति दे और नहीं दे तो हमें व्यवस्था दे ताकि हम नियम का पालन कर सकें।

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 252 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा उल्लेख किया कि इसकी मैंने पूर्व में ही सूचना दे दी थी कि वे आरोप प्रत्यारोप लोकहित के विरूद्ध नहीं होंगे और ना ही सदन की गरिमा के विपरीत होंगे।

अध्यक्ष महोदय मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि -

"श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 252 सह पठित 1433 (3-क) के अंतर्गत दिनांक 25.2.2006 को यह सूचना दी गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री बाबूलाल गौर, मंत्री वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक उद्योग और रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री लोकनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के विरूद्ध आरोप लगाना चाहते हैं। उन्होने इस पत्र में यह कहा है कि आरोप की विषय वस्तु सदन की गरिमा के विरूद्ध नहीं है और वह लोकहित में है।

नियम 252 में है - " किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद मे किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि वाद-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें।

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरूद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नही होता।"

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा पत्र के साथ कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है जिससे इस बात को सिद्ध किया जा सके कि आरोप तथ्यों पर आधारित है।

कौल एण्ड शकधर के पृष्ठ 928 में यह बताया गया है कि - "आरोप लगाते समय सदस्य को सावधान रहना होगा। उसे उपने आपको इस बात से संतुष्ट करना होगा कि स्रोत विश्वसनीय हैं और आरोप तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में उसे मंत्री या सदस्यों को लिखने से पूर्व तथा विशेषकर सदन में बोलने से पहले मामले की प्रथम दृष्टया जांच कर लेना चाहिए।समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित किसी आरोप से संबंधित सूचना की तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सूचना देने वाला सदस्य अध्यक्ष को इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं देता कि आरोप तथ्य पर आधारित हैं।
अध्यक्ष को दी जाने वाली सूचना में सदस्य द्वारा उस आरोप के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देना जरूरी है जो वह किसी व्यक्ति या किसी अन्य सदस्य के विरूद्ध लगाये जाने का विचार रखता है ताकि अध्यक्ष मामले के बारे में पहले से कुछ तय कर सकें।"

चूंकि माननीय सदस्य श्री सत्यदेव कटारे द्वारा इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि उसके द्वारा आरोप किस तथ्य के आधार पर लगाया जाना है। इस प्रकार बिना तथ्य पर आधारित किसी पर आरोप लगाने के लिए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाना मेरे लिए संभव नहीं था। इस कारण से मैंने मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को आरोप लगाये जाने के संबंध मे कोई सूचना भी नहीं भेजी है।

अतः आरोप किस प्रमाण पर आधारित है इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं देने और आरोप किन्तु तथ्यों पर आधारित है इसका भी विवरण नहीं देने के कारण मैं श्री सत्यदेव कटारे को आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता हूं"।

8. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

(7) श्री सत्यदेव कटारे

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(9) श्री आरिफ अकील

(10) श्री नानालाल पाटीदार

(11) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

03.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2006 (फाल्गुन 10, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.